UPMT010046032026

न्यायालयः-अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01, मथुरा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2008/2026

उपस्थित–राम किशोर पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा

विष्णु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–360/2026, धारा–303(2),317(2) बी०एन०एस०, थाना–कोतवाली, जिला मथुरा के अभियुक्त **विष्णु** की ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा किशन सिंह द्वारा सम्बंधित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसकी मोटरसाइकिल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गयी है। दिनांक–02.05.2026 को लगभग 16.30 बजे खड़ी थी कुछ समय बाद आने पर देखा तो मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। मोटरसाइकिल नं०–UP85CC4423 है। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना बरामदगी के आधार पर उक्त मामले में धारा–317(2) BNS बढ़ोतरी की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र व उसके साथ संलग्न शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रर्थनापत्र न तो निरस्त हुआ है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। अभियोजन कथानक को पूर्णतः असत्य होना कहा गया है। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। घटना दिनांक–02.05.2026 की होना बतायी गयी है, जबकि घटना की रिपोर्ट दिनांक–15.05.2026 को दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध अ०सं०–169/2018 अंतर्गत धारा–354 भा०दं०सं० 7/8 पोक्सो एक्ट थाना मगोर्रा पर पंजीकृत है। अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाने एवं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने का आरोप है।

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.06.20 09:49:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं बताया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की दोषसिद्धी के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त उक्त मामले में कारागार में निरूद्ध है। उक्त मामले में सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में इस न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना, न्यायालय इस अभिमत का है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/–रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त किसी अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक–03.06.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।